(5)

प्रकरण संख्या– 85/2019
लीलाराम बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक: 23.01.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारी:	संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:	85/2019
दायर दिनांक:	26.12.2019
निर्णय दिनांक:	23.01.2023

उनवान

लीलाराम पुत्र नाथूराम जाति खटीक निवासी प्रेमपुरा तहसील दौसा।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम–1956 बाबत दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राज0 भू–राजस्व अधि0–1956 पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम प्रेमपुरा तहसील दौसा में आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 607 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह स्थित है, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि चाह के साबिक नम्बर 142/6 मिन रकबा 3 बिस्वा थे, जिसकी साबिक में खातेदारी गुलाबसिंह पुत्र पदमसिंह राजपूत निवासी प्रेमपुरा के नाम थी। प्रार्थी ने उक्त भूमि व चाह के खातेदार से खसरा नम्बर 142/6 रकबा 3 बिस्वा जरिए रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.01.1987 को खरीदी थी, जिसका विक्रय पत्र उप पंजीयक दौसा के यहां दिनांक 29.01.1987 को पंजीबद्ध किया गया था। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने 3 बिस्वा भूमि खरीद की थी। सन् 1987 में दौसा तहसील में भू–प्रबन्ध की कार्यवाही चल रही थी, इसलिए विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण नहीं खुला ना ही खातेदारी दर्ज की गई। भू–प्रबन्ध विभाग वालों ने बिना अधिकार वादी की खरीदशुदा भूमि को कम कर 0.01 है0 भूमि की खातेदारी दर्ज की गई, जबकि वादी ने 3 बिस्वा जरिए रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी। इसलिए 3 एयर भूमि की खातेदारी इन्द्राज दर्ज करना चाहिए था। प्रार्थी आज भी मौके पर 0.03 है0 भूमि पर काबिज है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई इस अवैध कार्यवाही का पता चलने पर तहसीलदार दौसा को राजस्व रिकार्ड में रकबे की दुरूस्ती करने को कहा, परन्तु दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय [illegible] हेतु आदेश लेकर आओ। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार दौसा को आदेश दिया जावे कि ग्राम प्रेमपुरा तहसील दौसा के खसरा नम्बर 607 का रकबा 0.01 है0 के स्थान पर 0.03 है0 दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:49:11 IST
Reason: SelfAttested

लगातार ....2....

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

(5)

(2)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार दौसा से जवाब चाहा गया। तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि भू–प्रबन्ध कार्यवाही के समय प्रश्नगत भूमि का खातेदार गुलाबसिंह पुत्र पदमसिंह कौम राजपूत सा0 देह दर्ज थी। जिसमें सम्वत् 2031–34 के खाता संख्या 10 में कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा दर्ज थी तथा भू–प्रबन्ध कार्यवाही के पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2041–45 के खाता संख्या 18 में उक्त खातेदार की भूमि का रकबा 4.23 है0 दर्ज रिकार्ड है। अर्थात खातेदार की भूमि के रकबे में भू–प्रबन्ध कार्यवाही में कोई कमी नहीं की गई है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया तथा राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 607 का रकबा 0.01 है0 के स्थान पर 0.03 है0 दर्ज करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने साबिक खसरा नम्बर 142/6 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम प्रेमपुरा से बने हाल खसरा नम्बर 607 का रकबा 0.01 है0 के बजाय 0.03 है0 दुरूस्त करने का अनुरोध किया है। तहसीलदार दौसा की रिपोर्ट के अनुसार सम्वत् 2031–34 के खाता संख्या 10 में कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज थी तथा भू–प्रबन्ध कार्यवाही के पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2041–45 के खाता संख्या 18 में उक्त भूमि का रकबा 4.23 है0 दर्ज रिकार्ड है। अर्थात खातेदार की भूमि के रकबे में भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान कोई कमी नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रार्थी के कथनानुसार कम की गई भूमि कौनसे खसरा नम्बर में अधिक दर्ज की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि के रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से संबंधित नामान्तरकरण पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी विक्रय पत्र के आधार पर जमाबन्दी में दुरूस्ती कराना चाहता है, जो राज0 भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अन्तर्गत दुरूस्ती योग्य नहीं है। न्यायालय के मत में प्रार्थी को विक्रय पत्र के आधार पर जमाबन्दी में प्रविष्टि हेतु उद्घोषणा का दावा लाना चाहिए। प्रश्नगत भूमि के रकबे में संशोधन हेतु किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 18:09:... IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)